न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 9/2010 अन्तर्गत धारा 75 एल० आर० एक्ट

उनवान :– 1. हवासिंह पुत्र धूपसिंह जाति जाट निवासी लाला तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा ।

:——— अपीलांट

बनाम

1. राज० सरकार जरिये उप जिला कलेक्टर, बहरोड

:——— असल रेस्पो०

2. श्रीमती श्रवण स्त्री स्व० हरिसिंह जाति अहीर

3. कमलेश पुत्र हरीसिंह जाति अहीर
4. महेन्द्र पुत्र हरीसिंह जाति अहीर
5. सुजान पुत्र हरीसिंह जाति अहीर
6. कौशल्या पुत्री हरीसिंह जाति अहीर
7. कमला पुत्री हजारीलाल जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

8. बबली पुत्री हजारीलाल जाति अहीर

9. सुभाष चन्द पुत्र हजारीलाल जाति अहीर

10. राजेश कुमार पुत्र हजारी लाल जाति अहीर

11. रघुवीरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर

12. संतोष स्त्री जगदीश जाति अहीर निवासीयान ग्राम भीमसिंहपुरा तह0 बहरोड जिला अलवर ।

:--- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, बहरोड
दिनांक 22.2.2010

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री रामेश्वर दयाल
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 15.2.2017

1. प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा नोटिस कमांक:- राजस्व/10/229 दिनांक 22.2.2010 के खिलाफ है, जिस नोटिस के द्वारा श्रीमती श्रवण वगैरा से ईट भटटा निर्माण के लिये राशि जमा कराने तथा राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है ।

2. अपील में निवेदन किया है कि ईट भटटा हेतु नियमानुसार राशि जमा कराई गई है । तत्पश्चात संपरिवर्तन किया गया था । ईट भटटा का कार्य किस्म परिवर्तन होने के बाद किया गया है । कोई राशि बकाया नहीं है । ईट भटटा कार्य अपीलांट ने लिया हुआ है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

Scanned by CamScanner

। सम्पूर्ण राशि जमा कराई जा चुकी है । अब कोई राशि बकाया नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि जो राशि पूर्व में वसूली की गई थी, वह नियमानुसार कम थी । जांच दल ने रिकवरी निकाली है । यह प्रकरण वसूली से सम्बन्धित है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि का कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में संपरिवर्तन किया जा चुका है तथा अपीलाधीन आदेश रिकवरी से सम्बन्धित है । उपरोक्त सभी परिस्थितियों में यह अपील अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner